

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(2) सामान्य/न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 02/02/2018

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव
 2. समस्त विभागाध्यक्ष
 3. जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)
-

विषय:—लाईट्स सॉफ्टवेयर में न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अद्यतन बाबत।

महोदय/महोदया,

दिनांक 15.01.2018 को अति० मुख्य सचिव, गृह व न्याय विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार समस्त अधिवक्ताओं को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदान किए जाने हैं।

वर्तमान में लाईट्स सॉफ्टवेयर में अधिवक्ताओं से सम्बन्धित सूचना मास्टर (Masters) में नाम के साथ-साथ पदनाम से भी दर्ज की हुई है अब लाईट्स सॉफ्टवेयर में केवल पदनाम से दर्ज अधिवक्ताओं की सूचनाओं को Deactivate करने का निर्णय लिया गया है।

अतः जिन न्यायिक प्रकरणों में पदनाम से अधिवक्ताओं से सम्बन्धित सूचना इन्द्राज की हुई है उनमें अधिवक्ताओं के नाम से ही सूचना अनिवार्य रूप से इन्द्राज/अद्यतन(अपडेशन) करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

संयुक्त शासन सचिव